



EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Tel: 91-11-26135256

Fax: 91-11-26135518,26135519

Email: mails@epch.com

web: www.epch.in

PRESS RELEASE

EPCH SEEKS HANDICRAFTS UNITS TO BE ALLOWED TO OPERATE IN CRAFT CLUSTERS

NEW DELHI – 15TH APRIL, 2020 - Government of India has extended the lockdown till May 3, 2020 to break the chain of spreading of corona virus, issued guidelines for allowing certain activities to mitigate the hardship of public. These guidelines will come into effect from 20th April 2020 and will be operationalized by states / union territories and district administrations based on strict compliance to the existing guidelines on lock down measures.

The Government has offered some relief with respect to movement, loading, unloading of goods/cargo and inclusion of Courier services, informed Shri Rakesh Kumar, Director General – EPCH.

Shri Ravi K. Passi, Chairman – EPCH said, while EPCH thanked the Government for allowing certain manufacturing and industrial units to operate in SEZ and EOU, Industrial estates and industrial township thus kickstarting the production and economic activity in the country, however, have completely left out the cottage sector. The council has approached the Government to provide relief to handicrafts units operational in handicrafts clusters like Moradabad, Saharanpur, Agra, Firozabad, Narsapur, Jaipur, Jodhpur etc. and also consider including them in the guidelines as a large number of artisans and craftpersons are engaged in production of handicrafts products of home, lifestyle, fashion, furniture and textiles exclusively for the overseas markets

These handicrafts units are registered with District Industries Centre (DIC) and have the valid RCMC of the Export Promotion Council for Handicrafts and their inclusion would certainly help handicrafts sector which is one of the employment generating, foreign exchange earning sector of the Indian economy, elaborated Shri Kumar, DG – EPCH.

For more information, please contact
Shri Rakesh Kumar, DG – EPCH - +91-9818272171

Follow us on #epchindia





Tel: 91-11-26135256
Fax: 91-11-26135518,26135519

EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Email: kolkata@epch.com
web: www.epch.in

20 April, 2020

प्रेस विज्ञप्ति

ईपीसीएच ने हस्तशिल्प इकाइयों को क्राफ्ट क्लस्टर्स में संचालित करने की अनुमति मांगी

नई दिल्ली- 15 अप्रैल, 2020- भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई 2020 तक बढ़ाकर कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने का फैसला किया है. सरकार ने आम जनता के परेशानियों को कम करने के लिए कुछ गतिविधियों को अनुमति देने का फैसला किया है. ये निर्देश 20 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे और इनका लॉकडाउन के वर्तमान दिशानिर्देशों के हिसाब से कड़ाई से पालन राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन द्वारा कराया जाएगा.

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के महानिदेशक श्री राकेश कुमार ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने परिवहन, कार्गो और सामानों की लोडिंग, अनलोडिंग के साथ ही कुरियर सेवाओं के चलाए जाने की अनुमति देकर कुछ राहत दी है.

ईपीसीएच के चेयरमैन रवि के पासी ने बताया कि ईपीसीएच ने सरकार का आभार व्यक्त किया है कि उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप में कुछ मैनुफैक्चरिंग और औद्योगिक इकाइयों के संचालन की मंजूरी दे दी है. इससे देश में प्रोडक्शन और आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हो सकेगी लेकिन इसमें कुटीर उद्योग को बिलकुल छोड़ दिया गया है. परिषद ने सरकार से मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, नरसापुर, जयपुर, जोधपुर आदि जगहों पर चल रही हस्तशिल्प इकाइयों को राहत देने की मांग की है, साथ ही इन्हें छूट देने वाले दिशानिर्देशों के दायरे में लाने का आग्रह किया है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगर हैं जो गृहसज्जा, लाइफस्टाइल, फैशन, फर्नीचर और कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं जो सिर्फ विदेशी बाजारों के लिए काम करते हैं.

ईपीसीएच के महानिदेशक श्री कुमार ने अपनी बात को विस्तार देते हुए बताया कि ये हस्तशिल्प इकाइयां जिला औद्योगिक केंद्र (डीआईसी) में पंजीकृत हैं और इनके पास निर्यात संवर्धन परिषद का वैध रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट है. छूट देने वाले दिशानिर्देशों में इनको शामिल किए जाने से हस्तशिल्प सेक्टर की बड़ी मदद होगी क्योंकि ये सेक्टर बड़ी तादाद में रोजगार उत्पन्न करने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं.

ज्यादा जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें
श्री राकेश कुमार, महानिदेशक- ईपीसीएच+91-9818272171

Follow us on #epchindia

